

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
बईजलास श्री मनोज (आ००५०५०)

अनवान प्रकरण

श्री कल्याण ड। श्री चौधू भील निवासी - कवराडिया तहसील - माण्डल

वनाम

1. मु० बनी ड। श्री कालू भील ऐव पत्नी श्री धारा भील निवासी - कनौली त० भीलवाड़ा
2. दुर्गा ड। श्री गोमा भील नागा जरे सरसक सुडा ड। श्री कालू भील निवासी - स्वरोलिया खेडा तहसील - माण्डल
3. मु० प्यारी ड। श्री कालू भील निवासी - लागरो का खेडा तहसील - माण्डल
4. मु० लरदी ड। श्री कालू भील निवासी - स्वरोलिया खेडा तहसील - माण्डल
5. श्री सुडा ड। श्री कालू भील निवासी - स्वरोलिया खेडा तहसील - माण्डल
6. बैंक आफ बडौदा शाखा भगवानपुर जरे प्रवन्ध ५ वॉ० ऑफ बडौदा शाखा भगवानपुर
7. राजस्थान राज्य जरे तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53-54 मुकदमा नं० / वर्ष 43/22 निर्णय दिनांक 14.3.24

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी

मिनजानिव मुददई व श्री राजेश तिवाड़ी Adv. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुकम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहस वादी ऐव प्रतिवादी सं० ०१ लगायत ०५ मे इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम स्वरोलिया खेडा पटवार हल्का लेसवा भू-अभिलेखनिरीक्षण लेसवा तहसील माण्डल मे स्थित निम्नोक्त आराजियात विभाजन अनुसार वादी ऐव प्रतिवादीगण संख्या ०१ लगायत ०५ के नाम एक हिस्सेनुसार भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। असी अनुसार वादी ऐव प्रतिवादी सं० ०१ लगायत ०५ के नाम एक हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जावे।

1. श्री कल्याण ड। श्री चौधू भील निवासी - कवराडिया तहसील - करेडा सा०
स्वातेदार सम्पूर्ण खाता रहम बैंक ऑफ बडौदा भगवानपुर
आराजी नं० 1811/1 रकबा 0.6850 हेक्टर कुलकित 0.1 रकबा 0.6850 हेक्टर

आज तारीख 14.3.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी

माण्डल भीलवाड़ा

2. धनी पुत्री कालू 1/6 साठ कानोली भाबबा दुर्गा पुत्र गोमा सरक्षक सूडा पिता
 कालू 1/5 सा.देह, च्यारी 0/0 कालू 1/5 साठ लागरो का खैडा, बरदी पुर्गी
 कालू 1/5 सा.देह, सूडा पुत्र कालू 1/5 सा.देह भील खातेदार

आराजी नं०

रकबा

1811/2

0.7061

1812

0.3667

2748/1485

2.3522

कुलकिता 03 रकबा 3.425 हेक्टर

उक्तानुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण 04 लगायत 05 के नाम
 हक हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार
 माण्डल उक्तानुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण शेरव्या 04 लगायत
 05 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा कविकेन
 अपना-अपना वहन करे।


 उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल